न्यायालय–प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खंड, रामपुर बाघेलान
जिला सतना (म0प्र0)
(समक्ष–प्रतिभा वास्कले)

RCSA-153/2022
Filing No.- RCSA324/2022
CNR No.-MP1908/001029/2022
Filing Date -18/10/2022

1. **रामचंद्र कुशवाहा** तनय शिवदास, उम्र–54 वर्ष
निवासी–ग्राम अतरहरा, तहसील रामपुर बाघेलान,
जिला सतना (म.प्र.)

.....................आवेदक

बनाम

1. **काशीप्रसाद कुशवाहा** तनय शिवदास, उम्र–65 वर्ष
निवासी–ग्राम पड़खुरी, तहसील रामपुर बाघेलान,
जिला सतना (म.प्र.)
2. **म0प्र0 शासन** द्वारा जिलाध्यक्ष महोदय,
सतना, जिला सतना, (म.प्र.)

.... अनावेदकगण

वादी द्वारा	:–	श्री अजय मिश्रा अधिवक्ता।
प्रतिवादी क0–1 द्वारा	:–	श्री आर.आर. शुक्ला अधिवक्ता।
प्रतिवादी क0–2	:–	एकपक्षीय

/ / आ दे श / /
(आज दिनांक 18.12.2023 को पारित)

1. इस आदेश द्वारा आवेदक/वादी की ओर से प्रस्तुत आवेदन–पत्र अन्तर्गत आदेश 39 नियम 1 व 2 सहपठित धारा–151 व्य0प्र0स0 आई0ए0नं0–2/22 का निराकरण किया जा रहा है।

2. **आवेदन–पत्र अन्तर्गत आदेश 39 नियम 1 व 2 सहपठित धारा–151 व्य0प्र0स0 आई0ए0नं0–2/22 संक्षिप्ततः इस प्रकार है कि:–**मौजा पडखुरी पटवारी हल्का पडखुरी रा0नि0मं0 सज्जनपुर तहसील रामपुर बाघ

ेलान जिला सतना म0प्र0 स्थित आ0क0 307 रकवा 2.03 ए0, आ0क0 312 रकवा 0.16ए0, आ0क0 316 रकवा 2.80 ए0, आ0क0 318 रकवा 1.55 ए0 आ0क0 319 रकवा 2.84 ए0 कुल किता 5 कुल रकवा 9.38 ए0 पूर्व में वादी एवं प्रतिवादी क0 1 के नाम संयुक्त रूप से दर्ज राजस्व अभिलेख रही है जिस पर वादी एवं प्रतिवादी क0 1 का संयुक्त रूप से कब्जा दखल व आधिपत्य रहा है। उपरोक्त वर्णित आराजी में से आ0क0 316, 318, 319 कुल रकवा 7.50ए0 का हिस्सा बाट दिनांक 09.07.2003 के अनुसार प्रतिवादी क0 1 काशी प्रसाद को प्राप्त आराजी दक्षिण तरफ यानी चिल्लहा बांध के तरफ और वादी रामचन्द्र को प्राप्त आराजी उत्तर के तरफ यानी रामाधार कुशवाहा के जमीन की तरफ प्राप्त हुई। वादी एवं प्रतिवादी क0 1 दोनो भाई को समान अंश आधा आधा भाग जमीने प्राप्त हुई तथा वादी एवं प्रतिवादी क0 1 दोनो भाईयों को प्राप्त हिस्से की जमीने शासकीय रास्ता से जुडी हुई है तथा वादी एवं प्रतिवादी क0 1 को प्राप्त आराजी के बीच से पूर्व पश्चिम मेढ स्थित है। वादग्रस्त भूमि आ0क0 3198 रकवा 1.55 ए0 का सम्पूर्ण भाग तथा आ0क0 316 रकवा 2.80 ए0 का आधा भाग 1.40 ए0 आ0क0 319 का अंश रकवा 0.64 ए0 कुल रकवा 3.59 ए0 वादी को प्राप्त हुआ तथा आ0क0 316 का आधा भाग अंश रकवा 1.40 ए0 तथा आ0क0 319 का शेष भाग 2.20 ए0 प्रतिवादी क0 1 को प्राप्त हुआ। उपरोक्त हिस्साबाट के मुताविक वादी उपरोक्त वादग्रस्त आराजियात पर वर्ष 2003 से निरन्तर शान्ति पूर्वक काबिज दाखिल है और वादी के कब्जे दखल व अधिपत्य की उपरोक्त आराजी पर कभी किसी को कोई आपत्ति नहीं थी। वादी वर्ष 2015 में उक्त वादग्रस्त आराजियात पर नलकूप खनन कराये जाने बावत खसरे की नकल प्राप्त की तब से जानकारी हुई कि प्रतिवादी क0 1 ने उक्त वादग्रस्त आराजियात के राजस्व अभिलेखों में पृथक अपने नाम का इन्द्राज कराया हुआ है तब वादी ने उक्त इन्द्राज के संबंध में पटवारी हल्का से जानकारी प्राप्त की तब वादी को ज्ञात हुआ कि प्रतिवादी क0 1 ने राजस्व प्रकरण क0 29अ27/1992–93 के आदेश दिनांक 15/06/1993 के अनुसार बटवारा कराकर अपने नाम का इन्द्राज कराया है तब वादी ने माननीय नायब तहसीलदार प्रभारी वृत्त सज्जनपुर के उपरोक्त प्रकरण की सत्यप्रतिलिपि प्राप्त की तथा माननीय नायब तहसीलदार के उक्त आदेश के विरूद्ध माननीय अनुविभागीय अधिकारी रामपुर बाघेलान के न्यायालय में अपील प्रस्तुत की। वादी द्वारा माननीय अनुविभागीय अधिकारी महोदय रामपुर बाघेलान के न्यायालय में प्रस्तुत किये गये प्रकरण क0 177 अपील/ 2015–16 दिनांक 16/02/2019 के आदेशानुसार वादी द्वारा प्रस्तुत अपील को निरस्त कर दिया गया। वादी ने द्वितीय अपील माननीय आयुक्त महोदय रीवा संभाग रीवा के न्यायालय में प्रस्तुत की जिसका प्रकरण क0 231 अपील/2018–19 है जो कि अभी लम्बित है। यह कि प्रतिवादी क0 1 उक्त वादग्रस्त आराजी का अपने आप को मालिक स्वामी व अधिपत्यधारी कहने लगा है जबकि उक्त प्रकरण में वादी को उपस्थिति वावत न तो तलवी कराई गई और न ही सुनवाई का उसे कोई अवसर ही प्रदान किया गया। प्रतिवादी क0 1 ने दिनांक 09/07/2003 को किये गये हिस्साबाट के दस्तावेज पर गवाहों के समक्ष स्वरूप हस्ताक्षर बनाये थे। प्रतिवादी क0 1 दिनांक 07/10/2022 को उक्त

वादग्रस्त आराजी पर जाकर वादी व उसके पुत्र सन्तोष के द्वारा कराई जा रही जोताई कार्य को रोक दिया तथा गाली गलौज कर जबरन कब्जा करने की धमकी देते हुये उक्त वादग्रस्त आराजियात को विक्रय करने के फिराक मे है। ऐसी स्थिति में वादी के लिये यह आवश्यक हो गया है कि वह दावे के अन्तिम निराकरण तक माननीय न्यायालय से अस्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री प्राप्त कर ले। वादी वादग्रस्त आराजियातों पर वर्ष 2003 से काबिज दाखिल है परंतु प्रतिवादी क्र0 1 राजस्व अभिलेखों में कपट पूर्वक कराये गये अपने नामों के इन्द्राज के आधार पर वादी को उक्त वादग्रस्त आराजियात से बेदखल करने के फिराक में है ऐसा होने पर वादी को अपूर्तनीय क्षति होगी।

3. <u>प्रतिवादी 1 द्वारा आवेदन पत्र अंतर्गत आदेश 39 नियम 1 व 2 व्य0प्र0स0 आई0ए0नं0—2 / 22 व्य0प्र0स0 का जवाब संक्षिप्ततः इस प्रकार है कि :—</u> वादग्रस्त आराजी वादी एवं प्रतिवादी क्र0 1 की चचेरी दादी इन्दी बेवा पूसू काछी साकिन अतरहरा के हक व कब्जे दखल की जमीन रही है। उसके द्वारा वादी एवं प्रतिवादी क्र0 1 को जरिए वसीयतनामा दे दिया गया था। उक्त भूमियां इन्दी बेवा पूसू काछी की मृत्यू पश्चात प्रतिवादी क्र0 1 एवं वादी के नाम नामान्तरण हुआ है जिसकी पुष्टि ग्राम पडखुरी की नामान्तरण पंजी क्र0 8 में पारित आदेश दिनांक 11.12.1980 के आधार पर की गई है। वादग्रस्त आराजी राजस्व अभिलेखों में वादी एवं प्रतिवादी क्र0 1 के नाम संयुक्त रूप से दर्ज रही है, किन्तु उभयपक्ष द्वारा अपनी सुविधा एवं पारिवारिक व्यवस्था अनुसार मौके से आपसी विभाजन कर लिया गया था, उसी आधार पर आपसी बटवारा पुल्ली वर्ष 1993 वादी एवं प्रतिवादी क्र0 1 की सहमति से तैयार की गई थी। उक्त बटवारा प्रतिवादी / काशी कुशवाहा द्वारा नायब तहसीलदार रामपुर बाघेलान के समक्ष बटवारा नामान्तरण का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है जिसमें दिनांक 15.06.1993 को इस आधार पर आदेश पारित किया गया कि वादग्रस्त भूमियों के संबंध में वादी / रामचन्द्र कुशवाहा एवं प्रतिवादी क्र0 1 / काशी कुशवाहा के आपसी सहमति के आधार पर फर्द पुल्ली तैयार की गई है और उसी अनुसार मौके से काविज है, जिसके विरूद्ध अपील प्रतिवादी क्र0 1 द्वारा लगभग 23—24 वर्ष बाद अनुविभागीय अधिकारी रामपुर बाघेलान के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई थी जिसका मामला क्र0 177 अपील / 2015—16 रहा है। उक्त अपील को दिनांक 16.02.2019 को निरस्त कर दिया गया है। वर्ष 1993 के बटवारा फर्द पुल्ली अनुसार वादग्रस्त आराजी में प्रतिवादी क्र0 1 काशी प्रसाद को समान हक—हिस्सा कुल किता 3 कुल रकवा 4.69 ए0 प्राप्त हुआ है। वादग्रस्त आराजी नं0 307 रकवा 2.03 ए0 का अंश रकवा 1.00 ए0 प्रतिवादी क्र0 1 को वर्ष 1992—93 के आपसी बटवारा के आधार पर प्राप्त हुआ था, उक्त रकवा वर्ष 2005 में वाणसागर लोवर पुरवा नहर में अधिग्रहीत कर लिया गया है, उक्त रकवा मे प्रतिवादी के हिस्से के पश्चिम दिशा में अंश रकवा 1.03 ए0 वादी का हक—हिस्सा का मौजूद था, जिसे भी वाणसागर लोवर पुरवा नहर के तहत अधिग्रहीत कर लिया गया है और वादी एवं प्रतिवादी क्र0 1 को उनके हक—हिस्से एवं मौके के कब्जा दखल अनुसार पृथक—पृथक मुआवजा की राशि भी आवंटित की गई है। आराजी नंबर 319 कुल रकवा 2.84 प्रतिवादी

क0 1 द्वारा वर्ष 2006 में रहायस हेतु 3 कमरे का खपरैलदार कच्चे मकान का निर्माण कराकर, इसी आराजी के अंश भाग दक्षिण दिशा में वर्ष 2011 में बोरवेल का उत्खनन कराकर वर्ष 2012 में ट्यूबवेल चलाने हेतु विघुत वितरण केन्द्र रामपुर बाघेलान से बिजली का कनेक्शन भी प्राप्त कर अंश भाग में वर्ष 2010 में प्रतिवादी क0 1 द्वारा आम के 3 वृक्ष, कटहल के 7 वृक्ष, नीबू के 2 वृक्ष, अमरूद के 3 वृक्ष, ऑवला के 2 वृक्ष, बबूल के 7 वृक्ष, यूकेलिप्टिस के 90 वृक्ष, बांस 1 भीरा स्वयं के श्रम से लगाकर तैयार किए गए हैं। जिसका उपयोग व उपभोग स्वतंत्र रूप से प्रतिवादी क0 1 अनवरत रूप से कर रहा है जिसकी अधिकारियों के समक्ष किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं की गई है। इस प्रकार उक्त प्रतिवादीगण द्वारा आवेदन निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया।

4. **<u>अस्थायी निषेधाज्ञा आवेदन के निराकरण हेतु विचारणीय बिन्दु निम्नलिखित हैं:–</u>**

1. क्या प्रकरण में प्रथम दृष्टया मामला आवेदक/वादी के पक्ष में हैं ?
2. क्या सुविधा के संतुलन का सिद्धांत आवेदक/वादी के पक्ष में हैं ?
3. क्या अस्थायी निषेधाज्ञा जारी न किये जाने पर आवेदक/वादी को अपूर्णीय क्षति होने की संभावना है ?

<u>विचारणीय बिन्दु कमांक 1 का निराकरण</u>

5. वादी/आवेदक द्वारा अपने पक्ष समर्थन में स्वंय का शपथ पत्र तथा अनावेदक ने अपने पक्ष समर्थन मे काशी, संतोष, रामजीत, राजपाल का शपथ पत्र प्रस्तुत किया है। आवेदक ने इस आशय का आवेदन प्रस्तुत किया है कि मौजा पडखुरी पटवारी हल्का पडखुरी रा0नि0मं0 सज्जनपुर तहसील रामपुर बाघेलान जिला सतना म0प्र0 स्थित आ0क0 307 रकवा 2.03 ए0, आ0क0 312 रकवा 0.16ए0, आ0क0 316 रकवा 2.80 ए0, आ0क0 318 रकवा 1. 55 ए0 आ0क0 319 रकवा 2.84 ए0 कुल किता 5 कुल रकवा 9.38 ए0 पूर्व में वादी एवं प्रतिवादी क0 1 के नाम संयुक्त रूप से दर्ज राजस्व अभिलेख रही है जिस पर वादी एवं प्रतिवादी क0 1 का संयुक्त रूप से कब्जा दखल व अधि ापत्य रहा है। उपरोक्त वर्णित आराजी में से आ0क0 316, 318, 319 कुल रकवा 7.50ए0 का हिस्सा बाट दिनांक 09.07.2003 के अनुसार प्रतिवादी क0 1 काशी प्रसाद को प्राप्त आराजी दक्षिण तरफ यानी चिल्लहा बाध के तरफ और वादी रामचन्द्र को प्राप्त आराजी उत्तर के तरफ यानी रामाधार कुशवाहा के जमीन की तरफ प्राप्त हुई। वादी एवं प्रतिवादी क0 1 दोनो भाई को समान अंश आधा आधा भाग जमीने प्राप्त हुई तथा वादी एवं प्रतिवादी क0 1 दोनो भाईयों को प्राप्त हिस्से की जमीने शासकीय रास्ता से जुडी हुई है तथा वादी एवं प्रतिवादी क0 1 को प्राप्त आराजी के बीच से पूर्व पश्चिम मेढ स्थित है। वादग्रस्त भूमि आ0क0 3198 रकवा 1.55 ए0 का सम्पूर्ण भाग तथा आ0क0 316 रकवा 2.80 ए0 का आधा भाग 1.40 ए0 आ0क0 319 का अंश रकवा 0.64 ए0 कुल रकवा 3.59 ए0 वादी को प्राप्त हुआ तथा आ0क0 316

का आधा भाग अंश रकवा 1.40 ए0 तथा आ0क0 319 का शेष भाग 2.20 ए0 प्रतिवादी क0 1 को प्राप्त हुआ। उपरोक्त हिस्साबाट के मुताविक वादी उपरोक्त वादग्रस्त आराजियात पर वर्ष 2003 से निरन्तर शान्ति पूर्वक काबिज दाखिल है और वादी के कब्जे दखल व अधिपत्य की उपरोक्त आराजी पर कभी किसी को कोई आपत्ति नहीं थी।

6. वादी ने अभिवचन किया है कि वादी वर्ष 2015 में उक्त वादग्रस्त आराजियात पर नलकूप खनन कराये जाने बावत खसरे की नकल प्राप्त की तब उसे जानकारी हुई कि प्रतिवादी क0 1 ने उक्त वादग्रस्त आराजियात के राजस्व अभिलेखों में पृथक अपने नाम का इन्द्राज कराया हुआ है तब वादी ने उक्त इन्द्राज के संबंध में पटवारी हल्का से जानकारी प्राप्त की तब वादी को ज्ञात हुआ कि प्रतिवादी क0 1 ने राजस्व प्रकरण क0 29अ27 / 1992—93 के आदेश दिनांक 15 / 06 / 1993 के अनुसार बटवारा कराकर अपने नाम का इन्द्राज कराया है तब वादी ने माननीय नायब तहसीलदार प्रभारी वृत्त सज्जनपुर के उपरोक्त प्रकरण की सत्यप्रतिलिपि प्राप्त की तथा माननीय नायब तहसीलदार के उक्त आदेश के विरूद्ध माननीय अनुविभागीय अधिकारी रामपुर बाघेलान के न्यायालय में अपील प्रस्तुत की। वादी द्वारा माननीय अनुविभागीय अधिकारी महोदय रामपुर बाघेलान के न्यायालय में प्रस्तुत किये गये प्रकरण क0 177 अपील/ 2015—16 दिनांक 16 / 02 / 2019 के आदेशानुसार वादी द्वारा प्रस्तुत अपील को निरस्त कर दिया गया। वादी ने द्वितीय अपील माननीय आयुक्त महोदय रीवा संभाग रीवा के न्यायालय में प्रस्तुत की जिसका प्रकरण क0 231 अपील / 2018—19 है जो कि अभी लम्बित है। यह कि प्रतिवादी क0 1 उक्त वादग्रस्त आराजी का अपने आप को मालिक स्वामी व अधिपत्यधारी कहने लगा है जबकि उक्त प्रकरण में वादी को उपस्थिति वावत न तो तलवी कराई गई और न ही सुनवाई का उसे कोई अवसर ही प्रदान किया गया। प्रतिवादी क0 1 ने दिनांक 09 / 07 / 2003 को किये गये हिस्साबाट के दस्तावेज पर गवाहों के समक्ष स्वरूप हस्ताक्षर बनाये थे। प्रतिवादी क0 1 दिनांक 07 / 10 / 2022 को उक्त वादग्रस्त आराजी पर जाकर वादी व उसके पुत्र सन्तोष के द्वारा कराई जा रही जोताई कार्य को रोक दिया तथा गाली गलौज कर जबरन कब्जा करने की धमकी देते हुये उक्त वादग्रस्त आराजियात को विक्रय करने के फिराक मे है ऐसी स्थिति में वादी के लिये यह आवश्यक हो गया है कि वह दावे के अन्तिम निराकरण तक माननीय न्यायालय से अस्थाई निषेधाज्ञा की डिकी प्राप्त कर ले। वादी वादग्रस्त आराजियातों पर वर्ष 2003 से काबिज दाखिल है परंतु प्रतिवादी क0 1 राजस्व अभिलेखों में कपट पूर्वक कराये गये अपने नामों के इन्द्राज के आधार पर वादी को उक्त वादग्रस्त आराजियात से बेदखल करने के फिराक में है ऐसा होने पर वादी को अपूर्तनीय क्षति होगी।

7. आवेदक ने अपने पक्ष समर्थन मे अनुविभागीय अधिकारी रामपुर बाघेलान प्र.क.—177 / अपील / 2015—16 आदेश दिनांक—16.02.19, पंचानामा आपसी हिस्साबांट दिनांक 09.07.2003, नक्शा ट्रेस, सरपंच अतहरा का पत्र एवं पंचनामा दिनांक 13.08.2018, नगरीय क्षेत्र की नामान्तरण पंजी, खसरा पंचशाला वर्ष 1994—1997, आधार कार्ड रामचंद्र दस्तावेज प्रस्तुत किये है।

अनावेदक ने अपने पक्ष समर्थन में खसरा वर्ष 2019—20 से 2023—24 वादग्रस्त आराजी 307 / 1 रकवा 0.4050 प्रस्तुत किया है जिसके अवलोकन से दर्शित है कि वादग्रस्त आराजी शासकीय है। आराजी नंबर 318 / 1 रकवा 0. 3440 का खसरा वर्ष 2003—04 लगायत 2023—24 प्रस्तुत किया है जिसमें काष्शी का नाम भूमि स्वामि के रूप में लेख है तथा आराजी नंबर 319 रकवा 0.1490 का खसरा प्रस्तुत किया है जिसके अवलोकन से दर्शित है कि वर्ष 2003—04 से 2022—23 में काशी का नाम कब्जेदार के रूप में तथा 2022—23 लगायत 2023—24 में भूमिस्वामी में काशी का नाम लेख है तथा आराजी नंबर 318 व 319 के संबंध में भू अधिकार ऋण पुस्तिका प्रस्तुत की है जिसमें काशी का नाम लेख है। अतः प्रथम दृष्टया मामला वादी के पक्ष मे नहीं पाया जाता है।

विचारणीय बिन्दु क्रमांक 2 एवं 3 का निराकरण

8. चूंकि पूर्व विवेचनानुसार यह दर्शित नहीं है कि वादग्रस्त भूमि पर वादी / आवेदक वर्तमान मे काबिज है। ऐसी स्थिति में आवेदक के पक्ष मे अस्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष प्रदान न किये जाने से उसे असुविधा या क्षति का होना संभावित नही है। फलतः प्रकरण में सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति का सिद्धांत भी वादी / आवेदक के पक्ष में नही होना पाया जाता है

9. चूंकि पूर्वोक्त विवेचन से प्रकरण में प्रथम दृष्ट्या मामला, सुविधा का संतुलन व अपूर्णीय क्षति का सिद्धांत आवेदक के पक्ष में नही होना पाया गया है। अतः वादी / आवेदक का आवेदन उचित नही होने से अस्वीकार किया जाता है।

10. उक्त आदेश अन्य आदेश अथवा प्रकरण के निराकरण तक प्रभावी रहेगा।

11. इस आदेश का प्रभाव प्रकरण के गुणदोष के आधार पर किये जा सकने वाले निराकरण पर नहीं होगा।

आदेश खुले न्यायालय में पारित। मेरे निर्देशन पर टंकित।

(प्रतिभा वास्कले)	**(प्रतिभा वास्कले)**
प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खंड	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खंड
रामपुर बाघेलान, जिला सतना म.प्र.	रामपुर बाघेलान, जिला सतना म.प्र.

PRATIBHA VASKALE
Digitally signed by PRATIBHA VASKALE
Date: 2023.12.18 17:21:27 +0530